

पत्रांक: 797-ई/पालिसी/2018

RBE-70/2018

दिनांक: .07.2018

NCRPS No. 5245/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिधौली (ग्वालियर)।

चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।

उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.

प्रिन्सिपल - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन

ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,

सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशाप, झाँसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,

परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग

सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली

उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।

व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

**Subject: Implementation of Hon'ble Supreme Court's judgment dated
31.10.2013 in WP(C) 82/2011-Postings/Transfers on Railways-
Corrigendum-Regarding.**

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)-2017/TR/24 दिनांक 21.05.2018 की प्रतिलिपि आपके
सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

(V.P.Singh)

For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई- एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

18/7/18

32
24-5-18

RBL-2018-902
24-5-18
17-00
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

R.B.E. No. 70/2018

73

No. E(NG)I-2017/TR/24

New Delhi, dated 21.05.2018

NCR The General Manager(P)s,
All Zonal Railways and Production Units.
(As per Standard list).

Sub : Implementation of Hon'ble Supreme Court's judgment dated 31.10.2013 in WP(C)82/2011-Postings/Transfers on Railways-Corrigendum-Regarding

In continuation of Board's letter No. E(NG)I-2013/TR/7 dated 21.09.2015, it has further been decided to replace para 2(iii) of Board's letter No. E(O)III-2014/PL/03 dated 10.06.2014 as under :-

(iii) For officials of the level II and above in Zonal Railway Headquarters:-

- (a) One officer of Personnel Branch at least one scale below the Cadre Controlling Authority (minimum junior scale).
- (b) One officer of the concerned Department at least one scale below the Cadre Controlling Authority (minimum junior scale).
- (c) One officer outside the Department at least one scale below the Cadre Controlling Authority (minimum junior scale).

Competent Authority : The competent authority to accept the recommendations of the above Placement Committee shall be the concerned HOD.

2. Simultaneously, in supersession of Para 12 of Board's letter No. E(O)III-2014/PL/03 dated 29.08.2014, it is hereby clarified that mutual transfer and one-way request transfer cases may be kept out of the ambit of Placement Committees.

(This disposes of Eastern Railway's letters No. E.1140/0/Pt.III dated 04.08.2017 and dated 06.10.2017)

Please acknowledge receipt.

Hindi version will follow.

28/5/18
PCPD

प्र० मुकाधो	✓	
मुकाधो (प्रशा०)	✓	
मुकाधो (आई० आर०)		
उप मुकाधो (राज०)		
उप मुकाधो (मुख्या०)	✓	
उप मुकाधो (आई० आर०)		
अध्यक्ष/रोमप्र०		
प्र० का० अधि० (राज०)		
प्र० का० अधि० (औ०सं०)		
प्र० का० अधि० (मुख्या०)	✓	
सकाधो (आई० आर०)		
सकाधो (भर्ती०)		
प्र० कार्या० अर्थात्/कार्या० अर्थात्		

28/5/18
(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board

as Policy
OPD circulate
2- चर्चा से
21